1139

FORM NO-III

#2019/00359

98/2019

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– **अपीलीय अधि0 एवं जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

तरूण अग्रवाल **बनाम** लोक सूचना अधि0 एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

किस्म मुकदमा–सूचना का अधिकार अधि.–2005 **प्रकरण संख्या 98 सन् 2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/10/19	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन की बिन्दू संख्या 3 व 5 द्वारा उपखण्ड कार्यालय में अब तक जारी/लम्बित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की संख्या, RTI आवेदनों, जवाब पत्रों, गत आडिट रिपोर्ट, गत तीन माह में संधारित आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण पंजिका (प्रपत्र –5), फीस सम्बन्धी पंजीका, आवेदन निस्तारण करने सम्बन्धी पंजीका (प्रपत्र –6, 7) की सूचना चाही गई। वांछित सूचना अधिनियम की धारा 8 (g) के तहत दिया जाना आवश्यक नहीं होने तथा बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना प्रश्नवाचक तथा बिन्दू सं 04 की सूचना स्पष्ट अंकन के अभाव में दिया जाना संभव नहीं होने का प्रत्युत्तर, लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 24.09.2019 से आवेदक को प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात प्रेषित टिप्पणी दिनांक 21.10.2019 की प्रति भी अपीलान्ट को प्रेषित की गई है। तद्नुसार अपीलान्ट/प्रार्थी नियमानुसार उपलब्ध/देय सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर को भी निर्देशित किया जाता है कि सुचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार देय सूचना प्रार्थी/अपीलान्ट को नियत समयावधि में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें। अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर	3521-22 6/11/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Date: 2019.11.13 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested